महात्मा गांधी

प्रवासी सुरक्षा योजना

एमजीपीएसवाई के अंतर्गत नामांकन हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

www.moia.gov.in

संस्करण 2.0 30 अगस्त, 2012

एमजीपीएसवाई के अंतर्गत नामांकन हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना (एमजीपीएसवाई) समेकित मंच में उपभोक्ता के नामांकन हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया

1. पृष्ठभूमि

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय (एमओआईए), भारत सरकार (जीओआई) ने महात्मा गांधी प्रवासी भारतीय सुरक्षा योजना (एमजीपीएसवाई) शुरू की है, यह एक 17 उत्प्रसवासन जांच अपेक्षा (ईसीआर) देशों में अस्थायी कार्य परमिट पर कार्यरत 5 मिलियन से अधिक प्रवासी भारतीय कामगारों हेतु एक विशेष सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का लक्ष्य ईसीआर पासपोर्ट धारी प्रवासी भारतीय कामगारों और जो वैध अस्थायी रोजगार/ संविदा वीजा पर उत्प्रवास कर चुके हैं या उत्प्रवास करने की प्रक्रिया में हैं के लिए स्वैच्छिक रूप से (क) अपनी वापसी और पुनर्वास हेतु बचत करने, (ख) अपनी वृद्धावस्था के लिए बचत करने और (ग) कवर अवधि के दौरान स्वाभाविक मृत्यु के लिए जीवन बीमा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना, इन्हें पात्र बनाना और इनकी सहायता करना है। 18 से 50 आयु वर्ग के ईसीआर पासपोर्ट धारी महिला या पुरूष प्रवासी भारतीय कामगार जो रोजगार/ संविदा वीजा पर उत्प्रवास कर रहे हैं या पहले ही उत्प्रवास कर चुके हैं, इस योजना के साथ जुड़ने के पात्र हैं।

एनएसडीएल को इस प्रायोगिक परियोजना हेतु समेकित मंच तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है, इसके माध्यम से उपभोक्ता योजना साझेदार (एक) एनपीएस लाइट, (दो) यूटीआई आर एंड आर योजना और (तीन) एलआईसी जेबीवाई योजना में पंजीकरण कर सकता है। बाद में, उक्त अंशदान साझेदारी योजना में प्रवृत्त हो जाएगा।

इस दस्तावेज का लक्ष्य प्रायोगिक तौर पर एमजीपीएसवाई समेकित मंच (एमआईपी) तक पहुंच बनाने के लिए सेवा प्रदाता के अधिकारियों को सहायता प्रदान करना और समेकित रूप में उपभोक्ता का पंजीकरण करना है। बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) इस प्रायोगिक योजना के लिए सेवा प्रदाता और बैंकर के रूप में कार्य कर रहा है।

एमआईपी प्रणाली तक पहुंच श्रेणी तीन के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) पर आधारित होता है। तथापि, प्रयोगिक योजना हेतु एक विशेष रियायत के रूप में बीओबी अधिकारी किसी भी श्रेणी दो के डीएससी के साथ एमआईपी तक पहुंच बनाने में समर्थ होगा।

रूपरेखा

एमजीपीएसवाई की समग्र रूपरेखा को नीचे की सारणी में चित्रित किया गया है:

(चित्र)

2. प्रक्रिया विवरण

- अधिकांश मामलों में यह आशा की जाती है कि संभावित उपभोक्ता इस प्रपत्र को न भरे लेकिन अपने साथ संगत दस्तावेज ले जाए। इन दस्तावेजों में निम्न शामिल है:
    - ✓ पासपोर्ट के साथ प्रवासन अनुमति मुहर अथवा वीजा और कार्य आदेश/ कार्य परमिट अथवा श्रम कार्ड की प्रति।
    - ✓ रद्द किया गया चेक अथवा पासबुक की प्रति अथवा वैध प्रमाण जो भारतीय रिजर्व बैंक के विनियम के अनुसार स्वीकार्य हो।
    - ✓ पता संबंधी प्रमाण (यदि उपभोक्ता इस पासपोर्ट में दिए गए स्थायी पते के अतिरिक्त पत्राचार का पता देना चाहता हो।)।
    - ✓ तीन फोटो।
- यदि शुरूआती अंशदान चेक द्वारा किया जाए तो यह बैंक का हो जिसे पंजीकृत किया जा रहा है।
- एमजीपीएसवाई में उपभोक्ता का पंजीकरण एक 'मेकर - चेकर' प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।
- इन विवरणों को पांच भागों में श्रेणीबद्ध किया जाता है:

(एक) मुख्य विवरण

(दो) संपर्क संबंधी विवरण

(तीन) बैंक और रोजगार संबंधी विवरण

(चार) नामांकन संबंधी विवरण

(पांच) भुगतान संबंधी विवरण

- छठे भाग में यह प्रावधान है कि फोटो और हस्ताक्षर को अपलोड किया जाए। स्कैनिंग कार्य में गुणवत्ता और एकरूपता को सुनिश्चित करने के लिए फोटो और हस्ताक्षर को स्कैनिंग करने के लिए निम्नलिखित स्कैनरों की संस्तुति की जाती है:

  1. एचपी- एचपी स्कैनजेट 3670
  2. यूएमएएक्स - यूएमएएक्स आस्ट्रा 3600
  3. कैनन- कैनोस्केन डी646यू ईएक्स

  फोटो और हस्ताक्षर का आकार 12 केबी से अधिक न हो।
- प्रत्येक खंड में लिए गए आंकड़ों को सेव करने का विकल्प होगा।
- ब्राउजर पर 'बैक' और 'फारवर्ड' के बटन का इस्तेमाल न करें।
- यदि 10 मिनट तक कोई कार्य नहीं किया जाएगा तो उक्त प्रणाली स्वत: लॉग आउट हो जाएगी।

3. मेकर कार्य

प्रयोग कर्ता को https://mgpsy.nsdl.co.in/MGPSY/. साइट पर जाना होगा। 'नोडल अधिकारी/ अन्य मध्यवर्ती' के लिए टैब में प्रयोग कर्ता को 'डिजिटल सर्टिफिकेट' को चयन करना होगा।

(चित्र)

तत्पचश्चात प्रयोग कर्ता को दिए गए यूज़र आईडी की प्रवृष्टि करनी होगी और फिर 'सब्मिट' का बटन दबाना होगा। इन विवरणों को डाले जाने के बाद डीएससी ब्यौरे के साथ एक पॉपअप आएगा। प्रयोग कर्ता को संगत डीएससी ब्यौरे को चयन कर ओके का बटन दबाना होगा।
लॉग इन करने के बाद प्रयोग कर्ता को 'उपभोक्ता पंजीकरण' के अंतर्गत 'ऑन लाइन पंजीकरण' मेनू का चयन करना होता है। उसके बाद उन्हें 'नया पंजीकरण' का चयन कर 'सब्मिट' का बटन दबाना होता है।

(चित्र)

यूजर द्वारा ब्यौरा भरे जाने के बाद मुख्य ब्यौरे के लिए टैब प्रकट होता है। "#" चिह्न वाले खानों में न्यूनतम आंकड़े भरे जाते हैं जिसकी पेंशन और जीवन बीमा निधि (पीएलआईएफ) आईडी के लिए आवश्यकता होती है। "*" चिह्न वाले खानों में न्यूनतम आंकड़े भरे जाते हैं जो पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने लिए आवश्यक है।
यदि भरी गयी पासपोर्ट संख्या यूनिक हो तो ही पीएलआईएफ आईडी का सृजन होता है अर्थात् इस पासपोर्ट संख्या के आधार पर पूर्व में कोई अन्य पीएलआईएफ संख्या सृजित नहीं किया गया हो।

(चित्र)

एक बार जब ब्यौरा लेकर इसमें सेब कर दिया जाता है तो स्क्रीन के निचले बांए भाग में एक लिंक प्रकट होता है जिसे यूजर को अगले स्क्रीन पर ले जाने के लिए क्लिक करने की आवश्यकता होती है।

(चित्र)

स्थायी पता भारत का होना चाहिए। प्राथमिकता पूर्वक यह पता पासपोर्ट पर लिखा गया पता जैसा ही हो। यदि पत्राचार का पता स्थायी पते के समान है तो इन ब्यौरों को दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं होती है। पत्राचार के पते का स्थायी पते से भिन्न होने पर आवेदक को पते का प्रमाण देना होता है।

यूजर स्क्रीन के बटन पर लिंकों का प्रयोग करते हुए एक टैब से दूसरे टैब पर जा सकता है।

(चित्र)

बैंक ब्यौरा बैंक खाता होना चाहिए जिससे एसआई/ ईसीएस का पंजीकरण किया जाएगा।

(चित्र)

(चित्र)

कम से कम एक नामिती आवश्यक है। तथापि, इस प्रणाली में अधिकतम तीन नामिती हो सकते हैं। यदि एमजीपीएसवाई में एक से अधिक नामिती का पंजीकरण किया गया हो तो प्रथम नामिती को एलआईसी जेबीवाई में पंजीकरण किया जाएगा क्योंकि इस योजना में केवल एक नामिती की ही अनुमति है। यूजर को ब्यौरा भरते समय उपभोक्ता के लिए इसका उल्लेख किए जाने की आवश्यकता है।

(चित्र)

- पंजीकरण के समय ली जाने वाली न्यूनतम राशि 1100 रूपए है जिसमें से 1000 रूपए की राशि का यूटीआईएमएफ में निवेश किया जाएगा और शेष 100 रूपए का निवेश एनपीएस लाइट में किया जाएगा। यूटीआईएमएफ और एनपीएस लाइट के लिए अंशदान की राशि क्रमश: 1000 रूपए और 100 रूपए का गुणक होना चाहिए। तथापि, इसकी संस्तुति की गयी है कि 1900 रूपए (यूटीआई में 900 रूपए और एनपीएस लाइट में 1000 रूपए) हेतु एमओआईए द्वारा अधिकतम सह अंशदान को सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता को 5000 रूपए (4000 रूपए

यूटीआई एमएफ के लिए और 1000 रूपए एनपीएस लाइट के लिए) का अंशदान करने का सलाह दी जाए। यूटीआई में अंशदान 1000 रूपए का गुणक होना चाहिए।

- पहली किस्त चेक, एसआई, ईसीएस से होनी चाहिए। बाद का अंशदान एसआई अथवा ईसीएस के माध्यम से किया जा सकता है। नकद रूप में अंशदान की अनुमति नहीं है।
- चेक के ड्रापडाउन विकल्प से चयनित होने पर ही चेक संबंधी ब्यौरे की प्रविष्टि का विकल्प सक्षम होगा।
- यदि पहली किस्त चेक द्वारा की जाती है तो प्रथम सेवा प्रदातता को एमआईपी प्रणाली में इसके ब्यौरे के भाग को भरे जाने के बाद भी इस प्रपत्र पर चेक संख्या और चेक की तिथि लिखना होता है।
- ईसीएस की तिथि 7, 15, 20 और 25 हैं। यदि पहली किस्त ईसीएस के माध्यम से दिया जाता है तो उपभोक्ता को 15 कैलेंडर दिनों के तत्काल बाद आने वाली तिथि के चयन की सलाह दी जानी चाहिए। किसी प्रकार की संवादहीनता से बचने के लिए उपभोक्ता को तिथियों की पुनर्पुष्टि की जानी चाहिए।

(चित्र)

फोटो और हस्ताक्षर को अपलोड किए जाने के बाद नीचे बायें कोने में बने बॉक्स की जांच करनी आवश्यक है। सब्मिट बटन प्रकट होगा और इसकी जांच करते हुए आंकड़ों को सेब किए जाने की आवश्यकता होती है। प्रणाली सभी टेबों में भरी गयी समस्त सूचनाएं प्रदान करेगी। यूजरों को सलाह दी जाती है कि वे इन सूचनाओं की पुनर्जांच करें और उसके पश्चात 'कंफर्म' बटन को क्लिक करते हैं। एक बार पुष्टि होने के बाद निम्नलिखित स्क्रीन प्रकट होता है।

(चित्र)

4. जांचकर्ता का कार्य

सेवा प्रदाताओं को दिया गया यूजर आईडी में समान अधिकार होता है किंतु मेकर द्वारा प्रयुक्त आईडी से किसी प्रविष्टि को प्राधिकृत नहीं किया जा सकता है। लॉगइन के पश्चात यूजर "सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन" के अंतर्गत "आनलाइन पंजीकरण सत्यापन" मेनू का चयन करता है।

मुख्य ब्यौरा वाले टैब में जांच कर्ता को जन्मतिथि को पुन: भरना पड़ता है और 'वेलिडेट' पर क्लिक करना होता है। मेकर और चेकर द्वारा भरे गए आंकड़े एक जैसे होने चाहिए। अन्यथा प्रणाली में एक त्रुटि प्रदर्शित होगा और मेकर द्वारा प्रविष्टि मान को बताएगा। यदि मेकर ने गलत आंकड़े दिए हैं तो

इसे संशोधन के लिए मेकर को वापस किए जाने की आवश्यकता होगी। अन्यथा सही मान को चेकर द्वारा भरे जाने की आवश्यकता होगी। यह एक नियंत्रक उपाय के रूप में कार्य करता है।

(चित्र)

चेकर को इस प्रविष्टि को प्राधिकृत करने के लिए पृष्ट के नीचे दायें भाग पर बने लिंक का प्रयोग करते हुए सभी टेबों की जांच किए जाने की आवश्यकता होती है।

(चित्र)

एकबार 'सब्मिट' बटन दबाने के बाद डीएससी ब्यौरा उभर कर आता है। इसका चयन किया जाता है और उसके पश्चात यूजर को 'ओके' बटन दबाना पड़ता है।

(चित्र)

एक बार जब प्राधिकरण कार्य पूरा हो जाता है तो उपर्युक्त दिखाया गया स्क्रीन प्रकट होता है।

5. पंजीकरण प्रपत्र, पावती और पीएलआईएफ (एमजीपीएसवाई) कार्ड का सृजन:

तत्पश्चात यूजर (मेकर अथवा चेकर) इस प्रपत्र और एमजीपीएसवाई कार्ड को देखने और इसका प्रिंट लेने के लिए "ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट स्टेट्स" में जा सकता है।

(चित्र)

(चित्र)

हलांकि सभी प्रपत्र सफेद ए4 आकार के कागज में मुद्रण किया जाता है किंतु पीएलआईएफ (एमजीपीएसवाई) कार्ड का मुद्रण एमओआईए द्वारा दिए गए विशिष्ट रूप से निर्मित कागज पर मुद्रण किया जाता है। एमजीपीएसवाई प्रपत्र की दो प्रतियां और एसआई एवं ईसीएस प्रपत्रों की तीन प्रतियां मुद्रित की जाती हैं। सभी अन्य दस्तावेजों का मुद्रण एक ही बार किया जाता है।

प्रपत्रों और पीएलआईएफ (एमजीपीएसवाई) कार्ड की संभलाई

सभी प्रपत्रों पर उपभोक्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है। स्वाबलंबन प्रपत्र, केवाईसी प्रपत्र और एलआईसी प्रपत्र के साथ फोटो को संलग्न किया जाता है। पीएलआईएफ (एमजीपीएसवाई) कार्ड को लेमिनेट किया

जाना आवश्यक होता है। तत्पश्चात पावती रसीद, एमजीपीएसवाई प्रपत्र और पीएलआईएफ (एमजीपीएसवाई) कार्ड की एक प्रति उपभोक्ता को दिया जाता है।

केवाईसी प्रपत्र सहित सभी पंजीकरण प्रपत्रों को संबंधित योजना साझीदारों को भेजने के लिए इन्हें सेवा प्रदाता के नोडल कार्यालय को भेजा जाना होता है। एमजीपीएसवाई की एक प्रति और एसआई/ ईसीएस प्रपत्र की एक प्रति सेवा प्रदाता के पास रहती है। उसके बाद इस एसआई/ ईसीएस प्रपत्र को यूटीआई को भेजा जाता है। एसआई/ ईसीएस प्रपत्र की दो अन्य प्रतियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए नामोद्दिष्ट बैंक की शाखा को भेजा जाता है। नोडल कार्यालय को यह सलाह दी जाती है कि वह हस्ताक्षर किए गए सभी प्रपत्रों की स्कैन की गई साफ्ट प्रतियां को केन्द्री कार्यालय में सुरक्षित रखे।

निम्नलिखित रेखाचित्र में प्रपत्रों के प्रवाह को दर्शाया गया है:

(चित्र)

6. प्रारंभिक अंशदान

पंजीकरण के पश्चात अंशदान हेतु धन के प्रवाह को निम्न दिए गए रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता है।

(चित्र)

एमजीपीएसवाई पायलट के बैंकर के रूप में बीओबी उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुसरण करेगा

7. न्यूनतम प्रणाली विन्यास

एमजीपीएसवाई एकीकृत प्लेटफार्म एक सूक्ष्म ग्राहक अनुप्रयोग है। इस प्रकार यूजर इंटरनेट ब्राउजर के माध्यम से इस प्रणाली के उपयोग में समर्थ होगा। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) के आधार पर यूजरों का अधिप्रमाणन किया जाता है।

इस प्रणाली तक पहुंच के लिए एक डीएससी आधारित यूजर से आशा की जाती है कि उनके पास निम्नलिखित न्यूनतम विन्यास के साथ मानक डेस्कटॉप मशीन हो।

मानदंड	**मान**
हार्डवेयर	सीपीयू: इंटेल पेंटियम IV (एक गिगाहर्ट्ज और इससे अधिक) रैम: न्यूनतम 512 एमबी, एचडीडी: हार्ड डिस्क में उपलब्ध जगह 1.5 गिगावाइट्स (जीबी)
आपरेटिंग सिस्टम	विंडो एक्सपी एसपी3
ब्राउजर	इंटरनेट एक्सप्लोरर 7.0 अथवा इससे आगे का संस्करण
जावा रनटाइम एंवारामेंट	1.6 अपडेट 29 अथवा इससे अधिक (केवल 32 विट्स)
यूजर के प्राइवेट की	अलादीन ई टोकन (72 के और 64 के), सेफनेट 1 की, गेमाल्टो (डॉटनेट)

(डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण) के स्टोरेज के लिए यूएसबी	स्टारकी
प्रॉक्सी सेटिंग	अप्पेलेट को मशीन में डाउनलोड होने दें।
यूएसबी ड्राइबर	एसएसी 8.1 संस्करण ड्राइवर ताकि अलादीन ई टोकन और सेफनेट आईकी 2032 तक एक्सेस हो (इसका ब्यौरा निम्न रूप में दिया गया है।)
इंटरनेट कनेक्शन	56.6 केबीपी

इंटरनेट ब्राउजर सेटिंग

मानदंड	**मान**
एसएसएल इंक्रिप्शन -शिफर स्ट्रैंथ	एसएसएल इंक्रिप्शन -शिफर स्ट्रैंथ
एसएसएल / टीएलएस संस्करण	एसएसल 3.0 / टीएलएस 1.0
जावा इनेब्लिंग	जावा को इनेबल किया जाना चाहिए।
जावा स्क्रीप्टिंग एंड कुकीज	इनेबल्ड
एक्सेसबिलिटी	"इग्नोर कलर ऑन वेब पेजज" "इग्नोर फॉन्ट स्टाइल ऑन वेब पेजेज" "इग्नोर फॉन्ट साइज ऑन वेब पेजेज" की जांच नहीं की जानी चाहिए (वी)
सुरक्षा स्तर	एक) मध्यम उच्च दो) आकार अथवा स्थान की बाधाओं के बिना स्क्रीप्ट शुरूआत होने वाले विंडो शुरू करना

प्रणाली में एसएसी वी 8.1 ड्राइवरों को स्थापित करने के चरण

1. यदि उस प्रणाली में कोई विद्यमान ड्राइवर हो तो उसे अनइंस्टाल करें । विद्यमान ड्राइवरों को अनइंस्टॉल करने में निम्नलिखित चरण का अनुसरण करें।

विंडो एक्सपी:

क. स्टार्ट में जाएं

ख. कंट्रोल पैनल में जाएं

ग. उसके बाद एड एंड रिमूव प्रोग्राम में जाएं

घ. 'सेफ नेट' नाम ढूंढ़े और उक्त ड्राइवरों को हटाएं / अनइंस्टाल करें।

ड. 'आईकी' नाम खोजे और उक्त ड्राइवरों का हटाएं / अनइंस्टाल करें।

च. 'सीआईपी यूटीलिटी' नाम खोजे और इन ड्राइवरों का हटाएं / अनइंस्टॉल करें।

छ. एक बार इसे सफलतापूर्वक कर लेने के बाद प्रणाली को दुबारा रिबूटिंग करें।

बिंडो 7:

क. स्टार्ट में जाएं

ख. कंट्रोल पैनल में जाएं

ग. उसके बाद प्रोगाम और फीचर में जाएं।

घ. 'सेफ नेट' नाम ढूंढ़े और उक्त ड्राइवरों को हटाएं / अनइंस्टाल करें।

ड. 'आईकी' नाम खोजे और उक्त ड्राइवरों का हटाएं / अनइंस्टाल करें।

च. 'सीआईपी यूटीलिटी' नाम खोजे और इन ड्राइवरों का हटाएं / अनइंस्टॉल करें।

छ. एक बार इसे सफलतापूर्वक कर लेने के बाद प्रणाली को दुबारा रिबूटिंग करें।

2. मशीन के सफलतापूर्वक रिबूट के बाद "बी सेक कॉम्पिटेबल" मोड के विकल्प का चयन करते हुए एसएसी वी8.1 ड्राइवरों को इंस्टॉल करें।